

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, अमरोहा ।

सार्वजनिक नीलामी सूचना

(वित्तीय वर्ष 2025-26 की अवधि हेतु जिला न्यायालय अमरोहा परिसर में स्थित फोटो स्टेट-1, फाटो स्टेट-2, फोटोग्राफी, जूस स्टॉल, गिल्कबार, स्टेशनरी, स्टॉल, टी-स्टॉल, भोजनॉलय तथा साईकिल स्टेण्ड के ठेके की नीलामी)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नीलामी समिति की आख्या दिनांकित 28.03.2025 तथा माननीय जिला न्यायाधीश के आदेश दिनांकित 03.04.2025 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु जनपद नयायालय अमरोहा में फोटो स्टेट-1, फाटो स्टेट-2, फोटोग्राफी, जूस स्टॉल, गिल्कबार, स्टेशनरी, स्टॉल, टी-स्टॉल, भोजनॉलय तथा साईकिल स्टेण्ड के ठेके की नीलामी की कार्यवाही सील्ड निविदा/टेण्डर के माध्यम के आधार पर दिनांक 16.04.2025 को जिला न्यायालय अमरोहा स्थित वीडियो कान्फ्रेंस रूम में समय शाम 04:00 बजे की जानी है। नीलामी हेतु इच्छुक व्यक्ति उक्त फोटो स्टेट-1, फाटो स्टेट-2, फोटोग्राफी, जूस स्टॉल, गिल्कबार, स्टेशनरी, स्टॉल, टी-स्टॉल, भोजनॉलय तथा साईकिल स्टेण्ड के ठेके की न्यूनतम धनराशि तथा धरोहर धनराशि एवं अन्य जानकारी किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक केन्द्रीय नज़ारत अनुभाग अमरोहा से सम्पर्क स्थापित कर, कर सकते हैं। नीलामी के नियम व शर्तें निम्नवत हैं।

1. ठेके की अवधि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु 31 मार्च 2026 तक होगी।
2. दिनांक 16.04.2025 को दोपहर 02:00 बजे तक प्राप्त सभी निविदायें माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष उसी दिन शाम 04:00 बजे खोली जायेगी।
3. न्यायालय परिसर में नशीली एवं अन्य अवैध वस्तुएँ नहीं बेची जायेंगी।
4. ठेकेदार बिजली, पानी तथा अन्य सभी व्यवस्थाएँ एवं स्टॉल सम्बन्धी अस्थाई व्यवस्था स्वयं करेंगे।
5. ठेके से सम्बन्धित किसी भी विवाद पर माननीय जिला न्यायाधीश महोदय का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।
6. नीलामी ठेका पक्ष में होने पर ठेकेदार को नियमानुसार 100/- रुपये के स्टाम्प पर ठेकानामा लिखना होगा, उसे इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा समय समय पर पारित होने वाले आदेशों का पालन करना होगा।
7. ठेकेदार को ऐसे दो व्यक्तियों को जमानतदार के रूप में नाम व पता मय आधार कार्ड साथ प्रस्तुत करेगा कि धनराशि जमा न करने पर जमानतदारों से धनराशि वसूल की जायेगी।
8. यदि एक बोलीदाता एक से अधिक दुकान/स्टॉल की बोली में भाग लेना चाहता है तो उसे प्रत्येक दुकान/स्टॉल के लिए अलग अलग धरोहर धनराशि जमा करनी होगी। यदि बोलीदाता को दुकान/स्टाल का ठेका नहीं मिलता है तो उसकी सुरक्षा धनराशि वापस कर दी जायेगी।
9. प्रत्येक ठेकेदार को ठेके कि धनराशि का 25 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में तुरंत जमा करना होगा तथा शेष धनराशि प्रत्येक त्रैमास के प्रथम सप्ताह में जमा करनी होगी। यदि ठेकेदार द्वारा उक्त 25 प्रतिशत प्रथम किस्त की धनराशि उसी दिवस जमा नहीं की गयी तो उसका ठेका निरस्त कर ठेका दूसरे बोलीदाता के पक्ष में स्वीकृत कर दिया जायेगा। ठेका स्वीकृत होने के पश्चात ठेकेदार ठेके की रकम के अनुपात में अचल सम्पत्ति के कागजात केन्द्रीय नज़ारत अनुभाग में जमा करेगा।
10. किसी व्यक्ति के पक्ष में नीलामी एक बार स्वीकार करने पर निरस्त नहीं की जायेगी। यदि बोलीदाता नीलामी की प्रथम किस्त जमा करने के उपरांत ठेका चला नहीं पाता है तो उसका ठेका निरस्त कर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
11. ठेका अवधि पूर्ण होने पर 31 मार्च 2026 को ठेकेदार अपना सामान स्वयं उठायेगा एवं भूमि का कब्जा प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय नज़ारत अनुभाग जिला न्यायालय अमरोहा को उसी अवस्था में देगा जिस अवस्था में उसे प्रदान किया गया था।
12. सफल बोली दाता की धरोहर धनराशि चतुर्थ त्रैमास की किस्त में समायोजित की जायेगी।
13. आपराधिक व अवांछित प्रवृत्ति के व्यक्तियों का बोली में भाग लेना वर्जित है। ऐसा कोई तथ्य संज्ञान में आने पर माननीय जिला न्यायाधीश महोदय द्वारा किसी भी समय बिना नोटिस दिये ठेके को निरस्त किया जा सकता है।

4. प्लास्टिक, पॉलिथीन, धूम्रपान की वस्तुएँ, ज्वलनशील पदार्थ एवं नशीले पदार्थ न्यायालय परिसर में पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे।
15. प्रत्येक वस्तु की मूल्य-सूची ठेकेदार को केन्द्रीय नज़ारत अनुभाग ज़िला न्यायालय अमरोहा को उपलब्ध करानी होगी। सफल बोलीदाता को ठेका स्वीकृत होने पर जितनी धनराशि का ठेका स्वीकृत हुआ है उतनी ही धनराशि की स्वयं के नाम पर दर्ज चल एवं अचल सम्पत्ति के दस्तावेज़ की छाया प्रति केन्द्रीय नज़ारत अनुभाग ज़िला न्यायालय अमरोहा को उपलब्ध करानी होगी।
16. खाद्य पदार्थ की वस्तुयें मानक के अनुरूप होनी चाहिए। खाद्य पदार्थ की जाँच ठेके की अवधि में किसी भी समय कराई जा सकती है। खाद्य पदार्थ मानक के अनुरूप न पाये जाने पर उसकी धनरोहर धनराशि जब्त करते हुए ठेका निरस्त कर दिया जायेगा जिसका समस्त क्षेत्राधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को रहेगा।
17. माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र संख्या 101/AA दिनांकित 17.09.1952 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ठेकेदार खाद्य पदार्थ के मूल्यों की एक सूची ठेके के स्थान पर चस्पा करेगा एवं उक्त सूची में अंकित खाद्य पदार्थों के मूल्य से अधिक दर पर विक्रय नहीं करेगा।
18. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के परिपत्र संख्या 14 दिनांकित 08.02.1956 के अनुसार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ठेके की नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले अवांछनीय व्यक्ति का ठेका बिना किसी कारण के निरस्त कर सकते हैं एवं उससे कम नीलामी की बोली लगाने वाले उपयुक्त व्यक्ति का ठेका स्वीकार कर सकते हैं।

(संजय चौधरी)

विशेष सत्र न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)/
अध्यक्ष, नीलामी समिति
ज़िला न्यायालय अमरोहा।